न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
74 / 2018	12.07.2018	20 / 01 / 2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कवर (R.A.S.)

1.सरस्वती पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

आवेदिका

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।
2. जगदीश
3. रामकुमार
4. हरदयाल

समस्त पुत्रगण नारायणराम जाति जाट निवासीगण हरसावा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

5. देबुराम
6. बिरबल

समस्त पुत्रगण चिमना जाति जाट निवासीगण हरसावा बडा तहसील 'फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

7. बनवारी

8.शिशपाल

समस्त पुत्रगण रामेश्वर जाति जाट निवासीगण बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

9. रामेश्वर पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासीगण बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।
10. पटवारी हल्का बीबीपुर बडा

अनावेकगण

11. तहसीलदार फतेहपुर प्रतिनिधि लेड होल्डर राजस्थान सरकार
12. महेश पुत्र गोपाल जाति जाट निवासीगण बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान ।

औपचारिक अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता

श्री दिनेश शर्मा – प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल बाटड़ – अप्रार्थी संख्या 1 ओर से

श्री अब्दुल सत्तार – 5, 6 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–20.01.2025

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका की खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खं. नं. 500 रकबा 2.93 हैक्टेयर, ख. न. 502/2 रकबा 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम बीबीपुर बडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी मे अवस्थित है। जिसके नाम उक्त भूमी का खाता बना हुआ है। आवेदिका की उक्त. कृषी भूमि मे जाने का रास्ता गोचर भूमि ख. न. 488 के बीच में से होता हुआ ख.न. 489 में प्रवेश करता है तथा ख.न. 489 के बीच में से होता हुआ उक्त रास्ता ख.न. 489 की दक्षिणी सीव में से होता हुआ ख.न. 491 में प्रवेश करता है। तथा ख.न. 491 की दक्षिणी सीव में से ख.न. 500 की उत्तरी सींव में प्रवेश करता है उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शे मे लाल रंग से तथा अग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए. बी.सी.डी मार्क से दर्शीत किया गया है।

उक्त रास्ता मौके पर हमेशा से 20 फीट चौडा रहा है। आवेदिका अपनी कृषी भूमि ख.न. 500 में आवागमन, पशु, वाहन आदि लाने ले जाने हेतू उक्त 20 फीट चौडे रास्ते को ही हमेशा से अपने पुर्वजो के समय से निरन्तर, निर्वाद्ध, शांतिपूर्वक तरीके से अपने उपयोग–उपभोग में लेती चली आ रही है।

आवेदिका के पास अपनी उक्त कृषि भूमि ख.न. 500 में आने जाने हेतू उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त रास्ता आवेदिका के हिस्से की भूमि में आवागमन का एकमात्र प्रचलित रास्ता है, किन्तु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा कतई गलत व विधिविरूद्ध रूप से बिना किसी वैध हक अधिकार के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां गत माह से आवेदिका व उसके पनिवारजन को दी जा रही है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा उक्त रास्ता बंद कर देने से आवेदिका अपनी उक्त कृषि भूमि ख.न. 500 में आवागमन नहीं कर सकेगी तथा अपने पशुधन, वाहन, खेती का सामान आदि नहीं ले जा सकेगी उक्त रास्ते के बंद होने जाने से आवेदिका अपने खेत को काश्त नही कर पायेगा तथा न ही उसकी सारसंभाल कर पायेगा, जिससे आवेदिका को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपुर्ति अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के अलावा आवेदिका के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिए आवेदिका के प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित उक्त 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। आवेदक नियमानुसार विधि की समस्त शर्तों की पालना करने हेतु तैयार है तथा उक्त रास्ता आवेदिका को दिलवाया जाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने हेतू अनावेदकगण संख्या 10 व 11 को आदेशित किया जाना, उक्त रास्ता आवागमन के लिए सूचारू रूप से चालू रखवाया जाना व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 9 को आवेदक के उक्त रास्ते से आवागमन व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतू प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित व आवेश्यक है।

अनावेदक संख्याण 12 कृषि भूमि ख. न 500 व 502 /2 का सहखातेदार होने के करण उसे औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र दो रू[illegible] है। अन्य तर्क वरवक्त बहस निवेदित किये जायेगें।

इसलिए प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र [illegible] आवेदिका का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या [illegible] ए. बी.सी.डी. मार्क से दर्शित उक्त 20 फीट चौड़ा रास्ता आवेदिका व उसके परिवारजन को आवागमन, वाहन, पशुधन आदि लाने ले जाने हेतु प्रदान किया जावे तथा [illegible] की नियमानुसार राशि अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 को दिलवाने की कृपा करे तथा उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतू अनावेदक संख्या 10 व 11 को आदेशित फरमानें की कृपा करे तथा अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 को आदेशित फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा आवेदिका व उसके परिवारजन के उक्त रास्ते से आवागमन, वाहन, पशुधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

आदि लाने ले जाने व उनके उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, तथा कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बाटड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6 की ओर से श्री अब्दुल सत्तार एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4, 7 ता 12 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 5,6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 5, 6 की जवाबदेही बंद की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदन प्राप्त हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि नम्बर एक आवेदन गलत होने से स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 500 रकबा 2.93 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502/2 रकबा 3.21 हैक्टयर वाके ग्राम बीबीपुर बड़ा की खातेदारी प्रार्थी के नाम है। आवेदक ने खसरा नम्बर 488,489,491,500 का हवाला दिया है ऐसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है बल्कि ग्राम बीबीपुर से बगडी, दीनवा का कटानी रास्ता खसरा नम्बर 488 से 434,493,492 में से होता हुआ खसरा नम्बर 498 में प्रवेश करता है। खसरा नम्बर 498 में रास्ता क्रोस होकर चौराहा बना हुआ है। जिसमें दूसरा रास्ता पूरब से पश्चिम नारसरा से टिब्बा की ढाणी को जाता है जो खसरा नम्बर 498,499 से होकर खसरा नम्बर 500 की दक्षिणी पूर्वी कॅट से होकर खसरा नम्बर 502 से होकर आगे गुजरता है। प्रार्थी ने कोई अन्य रास्ते का नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया है तो वह गलत प्रस्तुत किया है जिसकी नकल उत्तरदाता को नहीं दी गई है। जिस सम्बन्ध में जबाबदेही का अधिकार सुरक्षित है।

नम्बर दो आवेदन गलत होने से स्वीकार नहीं है। जब खसरा नम्बर 500 में से कटानी रास्ते से जुड़ा हुआ रास्ता पहले से ही मौजूद है तब वैकल्पिक एवं शॉर्टकट रास्ते के लिये कोई व्यक्ति इस धारा का गलत लाभ नहीं ले सकता है। आवेदक को खसरा नम्बर 500 के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

नम्बर तीन आवेदन सरासर झूठा दर्ज किया है। उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 498 व 499 में से होकर खसरा नम्बर 500 में कदीमी समय से रास्ता जा रहा है। जब विवादित रास्ता ही मौजूद नहीं है तब अप्रार्थी संख्या 1 भला प्रार्थी को क्यों धमकी देगा फिर भी खसरा नम्बर 488 में से खसरा नम्बर 490 में एक कटानी रास्ता मौजूद है जो मध्य में होने से खातेदार ने रास्ते को अपनी पश्चिमी सींव के पास सरका दिया है। इसमें खातेदार के विरूद्ध आवेदक ने जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 प्रार्थी के प्रभाव के व्यक्ति है जो स्वयं अनावेदक/अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से रास्ते निकालने के लिये आवेदक से सांठ गांठ कर यह आवेदन प्रस्तुत किया है। जब आवेदक के पास खसरा नम्बर 498 में से कदीमी समय से चला आ रहा रास्ता मौजूद है तब उसके आवागमन में बाधा होने अथवा खेती नहीं कर सकने की बात झूठी [illegible] किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है।

नम्बर चार आवेदन गलत होने से स्वीकार [illegible] इस धारा के अन्तर्गत नया रास्ता कानूनन नहीं दिलाया जा सकता है [illegible] रास्ता मौजूद है तो उसी रास्ते बाबत भी आवेदन इस धारा में नहीं दिया जा सकता है। जब इस विधि में रास्ता दिया जाना ही संभव नहीं है तब विधि की समस्त शर्तों [illegible] पालना करने का कथन आवेदक का गलत हो जाता है। प्रार्थी को ऐसा गलत आवेदन प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिये था। प्रार्थी अपोषणीय आवेदन में उत्तरदाता को पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है।

आवेदन की मद नम्बर पांच आवेदन कानूनी है।

आवेदन की मद नम्बर छः आवेदन कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

आवेदन की मद नम्बर सात आवेदन कानूनी है।
आवेदन की मद नम्बर आठ का जबाब बरवक्त बहस दिया जावेगा।

अतिरिक्त कथन

उत्तरदाता कुरड़ाराम वृद्ध व्यक्ति है। जिसके पुत्र फौज में सेवारत होने के कारण उन्हें हैरान व परेशान करने के लिये आवेदन आवेदक ने गलत रूप से प्रस्तुत किया है।

वर्तमान खसरा नम्बर 502 में से ही खसरा नम्बर 486 में रास्ता जा रहा है। उसके खातेदार में से भी आवेदक ने एक अन्य आवेदन प्रस्तुत करवाया है। जिसने भी उत्तरदा के खेत में एक अन्य रास्ता बताकर आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि इनके झूठे आवेदनों को सत्य मान लिया गया तो उत्तरदाता की कृषि भूमि नष्ट एवं बर्बाद हो जावेगा। गोचर भूमि / जोहडे की भूमि खसरा नम्बर 488 में चर रहे आवारा पशु उत्तरदाता की कृषि भूमि में कभी फसल होने ही नहीं देगें। उत्तरदाता के खेत के तारबन्दी है। इन झूठे आवेदनों की आड़ में प्रार्थी आवेदक तारबन्दी को तुड़वाने की गलत कोशिश कर रहे हैं इसलिये आवेदन मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः जबाब आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन प्रार्थी मय 10000/– रूपये हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाने की कृपा करें।
तहसीलदार फतेहपुर से मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी।

बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया गया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांकित 928 दिनांक 19.06.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे छोटा व कम दूरी का है।

रास्तों के मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क में यह व्यवस्था दी गई है कि–

कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतें तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थित, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात् समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप ... मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शाया जाये, और यदि ऐसा दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग तो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

जहाँ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

हमने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, फतेहपुर दिनांकित 19.06.2024 प्रार्थीया को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। इसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थीया की यह मांग उचित प्रतीत होती है, प्रार्थीया को यह रास्ता दिया जाना न्याय संगत है।

परिणामतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा जिन खसरों से रास्ता चाहा गया है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई
1	488, 489, 491	0.1400है0	बारानी 1	20 फुट

तहसीलदार फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट व आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (1) में यह स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो डीएलसी दरों की दो गूना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। डीएलसी दरें निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता एवं आत्यंतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 19.06.2024 एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगें। नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल से दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गूणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जावेगी। यह ध्यान रहे कि पूर्व में रास्ते के रूप में दर्ज भूमि की गणना नहीं की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (अप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जावेगा। जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि के बराबर होगी।
3. प्रार्थी नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

में अमल दरामद किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो यह राशि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी जिसे तहसीलदार द्वारा अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फुट चौडे रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वाचित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावेगी। इसमें पूर्व से विद्यमान रास्ता भी शामिल है।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फुट चौडे रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे।
6. रास्ते के रूप समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 20 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, फतेहपुर को अहकाम जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)
फतेहपुर सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:48 IST
Reason: SelfAttested